# उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 8 अंक 22 16-30 नवंबर 2025 ₹ 20/-

# उत्तर प्रदेश में मदरसों की कड़ी निगरानी शुरू

- असम में बहुविवाह प्रथा पर प्रतिबंध
- व्हाइट हाउस के बाहर आतंकी हमला
- नाइजीरिया में मुसलमानों और ईसाइयों में भीषण जंग
- भारत में आतंकवादी संगठनों का मकड़जाल

परामर्शदाता
**डॉ. कुलदीप रतनू**

सम्पादक
**मनमोहन शर्मा***

सम्पादकीय सहयोग
**शिव कुमार सिंह**

**कार्यालय**
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–79687620

**E-mail:**
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

**Website:**
www.ipf.org.in

**मुद्रक–प्रकाशकः** मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

# अनुक्रमणिका

**सारांश** 03

**राष्ट्रीय**

उत्तर प्रदेश में मदरसों की कड़ी निगरानी शुरू 04
असम में बहुविवाह प्रथा पर प्रतिबंध 07
भारत में आतंकवादी संगठनों का मकड़जाल 09
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर विवाद 12
अखलाक हत्याकांड केस वापस लेने के निर्णय का विरोध 14

**विश्व**

व्हाइट हाउस के बाहर आतंकी हमला 16
टेक्सास में दो इस्लामिक समूह आतंकी संगठन घोषित 17
शेख हसीना और उनके रिश्तेदारों को सजा की घोषणा 19
पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खूनी झड़पें 20
इख्वानुल मुस्लिमीन पर भ्रष्टाचार का आरोप 21

**पश्चिम एशिया**

नाइजीरिया में मुसलमानों और ईसाइयों में भीषण जंग 22
सूडान में एकपक्षीय युद्धविराम की घोषणा 24
इजरायल द्वारा पांच प्रमुख हमास कमांडरों की हत्या 26
यूएई के शहजादे की रिहाई हेतु पांच करोड़ डॉलर का भुगतान 27
सऊदी अरब में 54 लाख से अधिक लोगों ने उमरा किया 28

# सारांश

देश की विभिन्न एजेंसियों की जांच में विदेशियों के इशारे पर नाचने वाले आतंकवादियों के मकड़जाल की नई-नई परतें खुल रही हैं। हाल ही में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन जमात-ए-इस्लामी कश्मीर से जुड़े कार्यकर्ताओं के घरों और संस्थानों पर छापे मारकर भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। जम्मू-कश्मीर पुलिस का दावा है कि जमात-ए-इस्लामी से जुड़े लोग विदेशी शक्तियों के इशारे पर आतंकवाद की ज्वाला भड़काने की साजिश रच रहे हैं। पुलिस ने कश्मीर के कई मदरसों और मस्जिदों की भी जांच की है। इस अभियान का लक्ष्य आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर लगाम लगाना है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बहुचर्चित मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी द्वारा महाराष्ट्र के नंदुरबार में स्थापित मुस्लिम शिक्षण संस्थान जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम ट्रस्ट के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। कहा जाता है कि इस संस्थान को विदेशी स्रोतों से भारी आर्थिक सहायता मिलती है। इस धनराशि का उपयोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और धर्मांतरण के लिए किया जाता है। इशातुल उलूम में अधिकतर विदेशी छात्र पढ़ाई करते हैं। इसके अतिरिक्त एक यमनी नागरिक अल-खदामी खालिद इब्राहिम सालेह भी इशातुल उलूम ट्रस्ट से जुड़ा पाया गया है। इस व्यक्ति की गतिविधियां संदेह के घेरे में है। पिछले साल केंद्र सरकार की नजर इस संस्थान की संदिग्ध गतिविधियों पर पड़ी थी। इसके बाद सरकार ने इस संस्थान द्वारा विदेशों से धनराशि लेने पर रोक लगा दी थी।

इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य में आतंकवादी संगठनों के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी निजी संस्थानों और मदरसों को यह निर्देश दिया है कि वे अपने संस्थान के प्रबंधकों, अध्यापकों और विद्यार्थियों की पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश एटीएस के कार्यालय में उपलब्ध करवाएं। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे इन मदरसों की गतिविधियों पर बारिकी से नजर रखें और उनमें आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान की जांच करें।

असम सरकार ने बहुविवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए 'असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025' को विधानसभा से पारित करवा लिया है। इस विधेयक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक विवाह करता है तो उसे सात साल की सजा दी जाएगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस कानून में पीड़ित महिला को मुआवजा देने का भी प्रावधान किया गया है। यह कानून आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। अगर संबंधित व्यक्ति बार-बार इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे हर बार पहले से दोगुनी सजा दी जाएगी। विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने इस कानून का विरोध किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति के सरकारी आवास व्हाइट हाउस के बाहर हुए आतंकवादी हमले में एक नेशनल गार्ड की मौत हो गई है। जबकि दूसरे नेशनल गार्ड की हालत नाजुक बताई जाती है। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी पहचान 29 वर्षीय अफगान नागरिक रहमानुल्लाह लकनवाल के रूप में हुई है। वह 2021 में अमेरिका आया था। वह अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के साथ काम भी कर चुका था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने इसे पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की गलत नीति का परिणाम बताया है। उन्होंने घोषणा की है कि बाइडेन के शासनकाल में जिन विदेशियों को अमेरिका में शरण दी गई थी उनकी दोबारा जांच की जाएगी।

पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया में पिछले कई दशकों से इस्लामिक आतंकवादियों और ईसाइयों में खूनी संघर्ष जारी है। नाइजीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन लगातार ईसाइयों को निशाना बना रहे हैं। अब तक वे हजारों ईसाइयों को मौत के घाट उतार चुके हैं और सैकड़ों ईसाई छात्राओं का अपहरण करके उन्हें अपना गुलाम बना चुके हैं। हाल ही में इस्लामिक आतंकवादियों ने एक कैथोलिक स्कूल पर हमला करके 300 से अधिक बच्चों और कर्मचारियों का अपहरण कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने धमकी दी है कि अगर ईसाइयों का इसी तरह से नरसंहार जारी रहा तो अमेरिका नाइजीरिया में सैन्य हस्तक्षेप करके उन्हें बचाएगा। उल्लेखनीय है कि नाइजीरिया में ईसाई-मुस्लिम संघर्ष की शुरुआत 1953 में हुई थी।

# उत्तर प्रदेश में मदरसों की कड़ी निगरानी शुरू

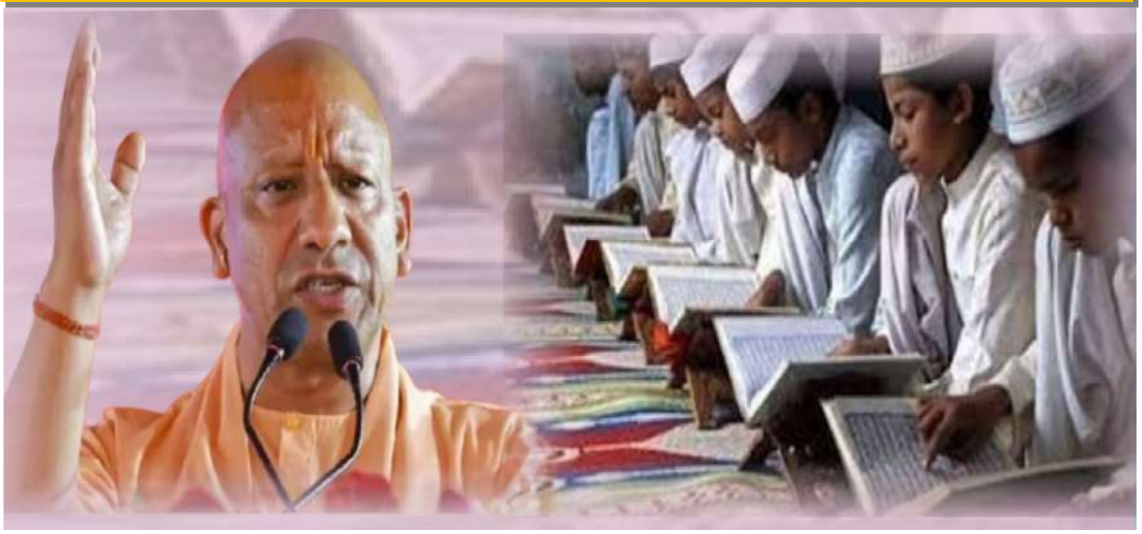

**सियासत** (20 नवंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने देश में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए मदरसों पर एक नया सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया है। विभिन्न जिलों के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे हर मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे के प्रबंधकों, अध्यापकों और विद्यार्थियों का पूरा विवरण आतंकवाद निरोधक विभाग (एटीएस) में जमा करवाएं। सरकारी आदेश के अनुसार हर मदरसे को अपने प्रबंधकों, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी। इसमें स्थाई पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और पहचान से संबंधित अन्य दस्तावेज शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि यह प्रक्रिया सिर्फ सर्वे या डाटा इकट्ठा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक पूरा सुरक्षा ऑडिट है। इसका लक्ष्य आतंकवादी घटनाओं का उन्मूलन करना है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में विभिन्न धार्मिक और निजी शिक्षण संस्थानों में बाहर से आए युवाओं की बढ़ती गतिविधियों ने गुप्तचर एजेंसियों को अर्ल्ट कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने मदररसों की पृष्ठभूमि की बारिकी से जांच करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे इन मदरसों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें और उनमें आने वाले हर व्यक्ति की पहचान की जांच करें। यह आदेश प्रदेश में संचालित सभी निजी विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगा। लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी गुप्तचर एजेंसियों के रडार पर है। दिल्ली धमाके की जांच के दौरान इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर परवेज अंसारी का नाम सामने आया था। इसके बाद खुफिया विभाग ने राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे जम्मू-कश्मीर के सभी अध्यापकों और विद्यार्थियों की पहचान से जुड़े दस्तावेज जमा करें। इसके अतिरिक्त इन शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों के बारे में भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

**इंकलाब** (19 नवंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों की जांच की जिम्मेवारी

खुफिया विभाग और एटीएस को सौंप दी है। सभी पुलिस थानों और खुफिया इकाइयों को निर्देश दिया गया है कि वे मदरसों के प्रबंधकों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की पुष्टि मौके पर जाकर करें। ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस–ए–अरबिया के उपाध्यक्ष मौलाना तारिक शम्सी का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सतर्क रहना जरूरी है, लेकिन इसकी आड़ में मदरसों के प्रबंधकों और कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है।

**अखबार-ए-मशरिक** (28 नवंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश के बागपत में भाषण देते हुए साध्वी प्राची ने कहा है कि राज्य के मदरसे आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र हैं। जब तक इन्हें बंद नहीं किया जाएगा तब तक इस देश से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता।

**उर्दू टाइम्स** (25 नवंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में शमशुल हुदा खान के मामले में चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शमशुल हुदा के पास भारत के अलावा ब्रिटेन की नागरिकता भी है। हुदा इस तथ्य को छिपाकर आजमगढ़ के मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया मिस्बाहुल उलूम में 2013 से 2017 तक नौकरी करते रहे। मदरसे के प्रबंधक सरफराज ने जून 2025 को मुबारकपुर पुलिस थाने में हुदा के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। इससे पहले जिला प्रशासन ने एक कमेटी बनाकर इस मामले की जांच भी कराई थी। इसमें आजमगढ़ जिला में नियुक्त तत्कालीन संयुक्त निदेशक शेषनाथ पांडेय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकष सिंह और दो अन्य अधिकारी दोषी पाए गए थे। इस जांच के आधार पर तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने संत कबीर नगर जिला प्रशासन को यह निर्देश दिया था कि इन पांच सालों में शमशुल हुदा को जो 16 लाख 59 हजार 555 रुपये वेतन के रूप में भुगतान किए गए हैं उन्हें उनसे वसूला जाए।

बता दें कि शमशुल हुदा खान का वेतन जिस बैंक खाते में जमा होता रहा, वह संत कबीर नगर में स्थित है। मदरसे के प्रबंधक सरफराज ने अपनी शिकायत में कहा था कि शमशुल हुदा 1984 में इस मदरसे में नियुक्त हुए थे। बाद में वे इलाज के बहाने ब्रिटेन चले गए और ब्रिटिश नागरिकता ले ली। ब्रिटेन से वापस आकर वे फिर से मदरसे में पढ़ाने लगे।

**अखबार-ए-मशरिक** (21 नवंबर) ने उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मदरसों से जुड़े लोगों की जांच की आलोचना की है। समाचारपत्र ने कहा है कि राज्य सरकार ने यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया है, लेकिन इससे समाज में मुसलमानों और इस्लाम के प्रति नफरत की भावना पैदा हो रही है।

**रोजनामा सहारा** (26 नवंबर) ने एक विशेष संपादकीय में राज्य सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि सरकार का यह फैसला उसके तानाशाही रवैये का परिचायक है। समाचारपत्र ने कहा है कि जबसे योगी अदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री

बने हैं तब से वे किसी न किसी बहाने की आड़ में लगातार मदरसों को अपना निशाना बना रहे हैं।

**उर्दू टाइम्स** (24 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भाजपा शासित केंद्र और राज्य सरकारें किसी न किसी बहाने मदरसों की जांच करती रही हैं। हालांकि, वे अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं जुटा पाई हैं, जिससे यह साबित हो कि इन मदरसों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती हैं या इनमें आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब दिल्ली बम धमाके के बाद सरकारी एजेंसियों ने मदरसों और मुस्लिम धार्मिक नेताओं को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों की जांच की जिम्मेवारी एटीएस को सौंप दी है। पहले गुप्तचर ब्यूरो और सीबीआई ने भी यही काम किया है, लेकिन अब यह काम एटीएस को सौंप दिया गया है। इसका मतलब है कि मदरसे आतंकवाद के केंद्र हैं, इसलिए जांच की जिम्मेवारी एटीएस को दी गई है। एटीएस अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं जुटा पाई है, जिसके आधार पर इन मदरसों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।

समाचारपत्र ने कहा है कि इस्लाम का लगातार प्रसार मुख्यमंत्री योगी को हजम नहीं हो रहा है। उन्हें यह पता होना चाहिए कि मदरसे किसी सरकार या विदेशी सहायता पर निर्भर नहीं हैं। देश का हर मुसलमान अपनी हैसियत के हिसाब से रमजान के महीने में इन मदरसों को जकात, फितरा और सदका देता है। मुख्यमंत्री योगी अगर ईमानदारी से काम लें तो उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि मदरसे आतंकवाद के अड्डे नहीं हैं, बल्कि उनमें नेक इंसान बनाए जाते हैं।

**हिंदुस्तान** (26 नवंबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि भाजपा शासित राज्यों में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सरकार द्वारा बार-बार मदरसों की गतिविधियों और उनके हिसाब-किताब की जांच करवाई जाती है ताकि जनता की नजर में इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। समाचार पत्र ने कहा है कि मदरसे इस्लाम के किले हैं, इसलिए उनका संरक्षण करना हर मुसलमान की जिम्मेवारी है। इस्लाम दुश्मन यह चाहते हैं कि आम मुसलमान मदरसों से दूर हो जाएं और नई पीढ़ी दीनी तालीम हासिल न करे। समाचारपत्र ने अपील की है कि मुसलमानों को मदरसों का महत्व समझना चाहिए और उन्हें इन मदरसों को अपने बलबूते चलाना चाहिए। अगर मुसलमान मदरसों को संचालित करने के लिए सरकारी सहायता लेंगे तो इसमें सरकार का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा।

# असम में बहुविवाह प्रथा पर प्रतिबंध

**इंकलाब** (28 नवंबर) के अनुसार असम की भाजपा सरकार ने बहुविवाह पर रोक लगाने वाले 'असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025' को विधानसभा से पारित करवा लिया है। इस विधेयक के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करता है या उसकी पिछली शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुई है तो इसे अपराध माना जाएगा। इसकी सजा सात साल तक की जेल और जुर्माना है। इसके अतिरिक्त पीड़ित महिला के लिए मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है। विधानसभा को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि अगर वे फिर से मुख्यमंत्री बने तो राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस कानून का धर्म से कोई संबंध नहीं है। यह इस्लाम के भी खिलाफ नहीं है, क्योंकि हिंदुओं में भी बहुपत्नी प्रथा मौजूद है, इसलिए इसे रोकने के लिए इस कानून को लाया गया है। इस कानून की परिधि में हिंदू, मुसलमान और ईसाई समेत सभी धर्मों के लोग आएंगे। हालांकि, आदिवासियों और छठी अनुसूची के तहत आने वाले स्वायत्त क्षेत्रों पर यह कानून लागू नहीं होगा।

मुख्यमंत्री सरमा ने विपक्षी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपने प्रस्तावित संशोधनों को वापस ले लें ताकि देश में यह संदेश जाए कि असम विधानसभा ने सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित किया है। हालांकि, एआईयूडीएफ और सीपीआईएम के सदस्यों ने अपने संशोधन वापस नहीं लिए। इसके बाद ध्वनिमत से उन संशोधनों को खारिज कर दिया गया और विधेयक को बहुमत से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने लव जिहाद के बारे में जनता से जो वायदा किया था उसे हम हर हाल में पूरा करेंगे।

इस विधेयक के अनुसार अगर कोई सरकारी कर्मचारी दूसरा विवाह करता है तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और भविष्य में उसे कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। दोषी पाए गए व्यक्ति को सरकारी योजनाओं और स्थानीय चुनाव लड़ने के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाएगा। असम में आकर कोई बाहरी व्यक्ति बहुविवाह करेगा तो उस पर भी यह कानून लागू होगा। एआईयूडीएफ के विधायक मुजीबुर रहमान

ने आरोप लगाया है कि सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए इस कानून को लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के मुस्लिम विरोधी होने का स्पष्ट संकेत मिलता है, क्योंकि इसे आदिवासियों पर लागू नहीं किया गया है। जबकि मुसलमानों को संविधान में मिले अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। यह इस्लाम और शरिया में सीधा हस्तक्षेप है।

**एतेमाद** (30 नवंबर) ने आरोप लगाया है कि यह कानून मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया गया है। पूर्वोत्तर भारत की राजनीति में मुसलमान एक 'सॉफ्ट टार्गेट' माने जाते हैं। यही कारण है कि असम के मुख्यमंत्री मुसलमानों को परेशान करने के लिए कोई न कोई हथंकडा अपनाते रहते हैं। इस कानून में यह भी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यक्ति अपना विवाह छिपाकर दोबारा शादी करता है तो उसे दस साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। अगर किसी गांव का मुखिया, सरपंच, काजी या संबंधित व्यक्ति का अभिभावक इस तरह के विवाह में शामिल होता है तो उसके लिए दो साल की जेल और डेढ़ लाख रुपये तक के जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है। अगर कोई व्यक्ति बार-बार इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे हर बार पहली बार से दोगुनी सजा दी जा सकती है।

समाचारपत्र का कहना है कि सरकार का यह दावा बेबुनियाद है कि यह कानून महिला सशक्तिकरण के लिए लाया गया है। अगर ऐसा होता तो इस कानून को समाज के सभी वर्गों पर लागू किया जाता। समाचारपत्र ने पूछा है कि आदिवासियों पर इस कानून को क्यों नहीं लागू किया गया? इससे साफ है कि इस कानून का लक्ष्य सिर्फ मुसलमानों को प्रताड़ित करना है। खास बात यह है कि सदन में विपक्षी दलों द्वारा पेश संशोधन पर विधिवत मतदान नहीं करवाया गया, बल्कि इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। हालांकि, देश में बहुविवाह पर प्रतिबंध है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 के तहत मुसलमानों को कानूनी तौर पर एक साथ चार निकाह करने की अनुमति मिली हुई है। इस्लाम में एक से अधिक निकाह करना कुरान का निर्देश नहीं है, बल्कि यह अनुमति है कि संबंधित व्यक्ति एक साथ चार महिलाओं से निकाह कर सकता है। समाचारपत्र ने कहा है कि कुछ मुस्लिम दुश्मन तत्व मुसलमानों के खिलाफ यह दुष्प्रचार करते हैं कि शरिया के इस आदेश का पालन करके वे अपनी जनसंख्या में अंधाधुंध बढ़ोतरी कर रहे हैं।

**एतेमाद** (19 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि असम विधानसभा में बहुविवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का जो विधेयक पारित किया गया है उसका लक्ष्य मुसलमानों को परेशान करना है। इस विधेयक में एक से अधिक निकाह करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही इस विधेयक में बारात में शामिल होने वाले रिश्तेदारों को भी सजा देने की व्यवस्था की गई है। यह कानून सुधार के नाम पर एक विशेष समुदाय पर नियंत्रण का सबसे घृणित उदाहरण है। अजीब बात है कि इस कानून की आड़ में मुसलमानों को सरकारी नौकरियों और कल्याणकारी योजनाओं से भी बाहर निकाल दिया गया है। महिला सशक्तिकरण का दावा करने वाली सरकार महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा के खिलाफ कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है और न ही उनके उत्तराधिकार व संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए कोई कदम उठाया गया है। यह कानून न्याय के नाम पर धार्मिक भेदभाव का एक ब्रह्मास्त्र है, जो राज्य के हर नागरिक को समान अधिकार से वंचित करना चाहता है। मुसलमानों को हाशिए पर लाने का जो अभियान चल रहा है यह कानून उसी सिलसिले में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

# भारत में आतंकवादी संगठनों का मकड़जाल

पूरे देश में आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद आतंकवाद से जुड़े मकड़जाल को उजागर करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। ताजा जानकारी के अनुसार ईडी ने देश के एक प्रमुख इस्लामिक शिक्षण संस्थान जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम ट्रस्ट से जुड़े 12 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। इस मुस्लिम शिक्षण संस्थान में 15 हजार से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें विदेशी मूल के छात्रों की संख्या अधिक है। पिछले साल इस संदिग्ध संस्थान की आपत्तिजनक गतिविधियां केंद्र सरकार की नजर में आई थीं। इसके बाद गृह मंत्रालय ने इस संस्थान पर विदेशों से आर्थिक सहायता लेने पर रोक लगा दी थी। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को इस संस्थान का प्रशासक नियुक्त किया है।

**हिंदुस्तान** (4 दिसंबर) के अनुसार ईडी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में स्थित जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम के कई ठिकानों पर छापे मारकर कुछ महत्त्वपूर्ण दस्तावेज बरामद की है। महाराष्ट्र पुलिस ने पुष्टि की है कि इस शिक्षण संस्थान में कई संदिग्ध विदेशी मूल के नागरिक कार्यरत हैं। ईडी की जांच में यमन के एक नागरिक अल-खदामी खालिद इब्राहिम सालेह इशातुल उलूम ट्रस्ट से जुड़ा पाया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य इस्लामिक देशों के एक दर्जन नागरिकों के बारे में भी जानकारी मिली है। इन पर अवैध रूप से विदेशों से धनराशि लेने और उस धनराशि को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों व धर्मांतरण के लिए उपयोग करने के आरोप में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पता चला है कि यह संगठन पिछले साल से गृह मंत्रालय के रडार पर था। जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम ट्रस्ट की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया था।

**औरंगाबाद टाइम्स** (23 नवंबर) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने आरोप लगाया है कि सरकार इस्लाम के प्रति नफरत के कारण मुस्लिम संगठनों को अपना निशाना बना रही है। उन्होंने फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी और जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम के खिलाफ कार्रवाई की निंदा की है।

**औरंगाबाद टाइम्स** (28 नवंबर) ने जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम के खिलाफ की

जा रही कार्रवाई पर चिंता प्रकट की है। समाचारपत्र ने कहा है कि हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि इशातुल उलूम में देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और शैक्षणिक गतिविधियों की आड़ में धर्मातरण किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि इस संस्थान को विदेशों से गैर-कानूनी आर्थिक सहायता मिल रही है। इसका उपयोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और धर्मांतरण के अभियान में किया जा रहा है। सोमैया ने दावा किया था कि इस संस्थान में पढ़ने वाले 90 प्रतिशत छात्र बांग्लादेशी और यमनी हैं। महाराष्ट्र भाजपा के एक अन्य नेता विजय चौधरी ने भी आरोप लगाया था कि इस संस्थान द्वारा प्रतिबंधित इस्लामिक संगठनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है और इसमें अनेक विदेशी नागरिक गैर-कानूनी तरीके से रह रहे हैं। इन आरोपों के बाद राज्य सरकार ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को इस संस्थान का प्रशासक नियुक्त किया है।

समाचारपत्र के अनुसार जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम की स्थापना 1979 में की गई थी। बताया जाता है कि इस संस्थान में 15 हजार से अधिक छात्र पढ़ते हैं। इस संस्थान में पारंपरिक इस्लामिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। इसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, लॉ और बी.एड. कॉलेज भी शामिल हैं। इसके परिसर में 300 बिस्तरों वाला नूर अस्पताल भी है।

**कौमी भारत** (2 दिसंबर) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए धमाके के सिलसिले में कश्मीर में 10 स्थानों पर छापे मारे हैं। जिन लोगों के घरों पर छापे मारे गए हैं उनमें मौलवी इरफान अहमद वागे, डॉ. आदिल अहमद राठर, डॉ. मुजम्मिल शकील और आमिर रशीद शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि इन सभी आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

**औरंगाबाद टाइम्स** (19 नवंबर) के अनुसार ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों के 25 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। ईडी ने दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में छापे मारकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के आर्थिक दस्तावेजों को भी जब्त किया है। इन छापों का संबंध लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए धमाके से बताया जाता है। पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने आरोप लगाया है कि सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियां मुसलमानों और उनके संगठनों को निशाना बना रही हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में देश के सात राज्यों में स्थित कई मदरसों और मस्जिदों में छापे मारकर एक दर्जन इमामों को हिरासत में लिया गया है। ये छापे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा और पंजाब में मारे गए हैं। जांच एजेंसियां इनसे पूछताछ कर रही हैं।

**हिंदुस्तान** (29 नवंबर) ने अपने संपादकीय में चिंता प्रकट की है कि सांप्रदायिक ताकतें मुस्लिम संस्थानों को तबाह व बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी

आदित्यनाथ ने मदरसों और मुस्लिम संगठनों को तबाह करने का जो सिलसिला शुरू किया था वह अब हरियाणा की अल-फलाह यूनिवर्सिटी और महाराष्ट्र के जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम तक पहुंच गया है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि भाजपा के नेता सांप्रदायिकता को हवा देने के लिए मुस्लिम संस्थानों को अपना निशाना बना रहे हैं। पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी को आतंकवाद और विदेशों से धनराशि लेने के आरोप में निशाना बनाया गया और अब महाराष्ट्र में मुसलमानों की एक महत्त्वपूर्ण शिक्षण संस्थान जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम को निशाना बनाया जा रहा है। इन संस्थानों पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हकीकत यह है कि इशातुल उलूम से हर साल सैकड़ों मुस्लिम छात्र डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। मुसलमानों की यह सफलता सांप्रदायिक ताकतों को रास नहीं आ रही है। अब महाराष्ट्र सरकार ने इशातुल उलूम का प्रशासक एक आईएएस अधिकारी को नियुक्त करने का फैसला किया है। इससे साफ है कि सांप्रदायिक ताकतें मुसलमानों को उनके बनाए हुए शिक्षण संस्थानों से भी वंचित करना चाहती हैं। इससे पहले मुस्लिम दुश्मन तत्वों ने मोहम्मद आजम खान द्वारा स्थापित जौहर यूनिवर्सिटी को भी अपना निशाना बनाया था।

**हिंदुस्तान एक्सप्रेस** (22 नवंबर) ने अपने संपादकीय में सरकारी एजेंसियों द्वारा अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की आलोचना की है। समाचारपत्र ने कहा है कि अगर किसी संगठन में काम करने वाले मुट्ठी भर लोग बदकिस्मती से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं तो उनकी हरकतों की सजा पूरे संस्थान को देना उचित नहीं है। समाचारपत्र का कहना है कि जांच एजेंसियों को मुस्लिम विरोधी रवैये को छोड़कर तथ्यात्मक और निष्पक्ष रुख अपनाना चाहिए।

**कौमी भारत** (28 नवंबर) के अनुसार जम्मू-कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन जमात-ए-इस्लामी कश्मीर के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाया। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, अवंतीपोरा, बडगाम, कुलगाम और कुपवाड़ा समेत कई स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस दौरान 100 से अधिक घरों और कार्यालयों पर छापे मारे गए। इस दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। बरामद की गई सामग्रियों की उच्चस्तरीय जांच की जा रही है। अवंतीपोरा पुलिस के अनुसार यह अभियान आतंकवाद और उससे संबंधित संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का एक हिस्सा है। कश्मीर घाटी में आतंकवादी नेटवर्क, उसके आर्थिक सहयोगियों, विचारकों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति जारी रहेगी। पुलिस का दावा है कि जमात-ए-इस्लामी विदेशियों के इशारे पर आतंकवादी ज्वाला भड़काने की साजिश रच रहा है। श्रीनगर पुलिस ने इस क्षेत्र के सभी मदरसों और मस्जिदों में सघन तलाशी ली है। इस अभियान का लक्ष्य आतंकवादियों के सहयोगी संगठनों का उन्मूलन करना है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे आतंकवाद निरोधक इस अभियान में सरकार को सहयोग दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में सरकारी एजेंसियों को तुरंत सूचित करें।

# पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर विवाद

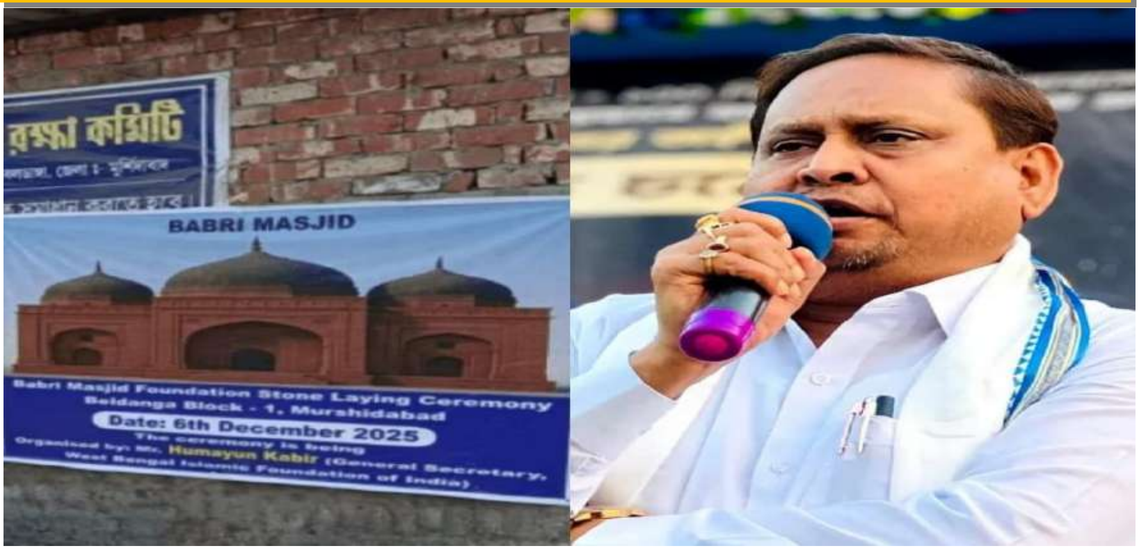


**हिंदुस्तान** (28 नवंबर) के अनुसार तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने की घोषणा की है। मुर्शिदाबाद के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हुमायूं कबीर ने घोषणा की है कि वे 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। मीडिया में यह आरोप लगाया गया है कि हुमायूं कबीर जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद की नींव रखने का दावा कर रहे हैं, वह विवादित है। जब संवाददाताओं ने हुमायूं कबीर से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कि यह जमीन किसकी है और किसने दी है? उन्होंने पत्रकारों से पूछा कि आपको यह किसने बताया कि यह जमीन विवादित है? मेरे पास एक नहीं, बल्कि छह भूखंड तैयार हैं।

**सियासत** (25 नवंबर) ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी एक नए राजनीतिक विवाद में फंस गई है। इसके कारण टीएमसी की चुनावी रणनीति खतरे में पड़ गई है। उसके एक विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने की घोषणा है। उल्लेखनीय है कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित बाबरी ढांचे को गिरा दिया गया था। अगर टीएमसी हुमायूं कबीर की योजना का विरोध करती है तो उसे मुस्लिम वोटों से हाथ धोना पड़ेगा और अगर वह समर्थन करती है या चुप रहती है तो भाजपा को टीएमसी के खिलाफ एक नया मुद्दा मिल जाएगा। इससे हिंदू वोटों में ध्रुवीकरण हो सकता है। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। इस पर ममता पर यह आरोप लगाया गया था कि वे नरम हिंदुत्व का रास्ता अपना रही हैं। बता दें कि मालदा उत्तर लोकसभा क्षेत्र में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के कारण भाजपा दो बार चुनाव जीत चुकी है, लेकिन मुर्शिदाबाद और बहरामपुर में उसकी यह रणनीति विफल रही है।

**हमारा समाज** (30 नवंबर) के अनुसार टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बारे में पोस्टर लगवाए हैं। इस पोस्टर में कहा गया है कि वे 6 दिसंबर को

बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे और तीन साल के अंदर इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। टीएमसी के विधायक का यह बयान अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराने के बाद आया है। भाजपा ने बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने की कड़ी आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की आधारशिला नहीं, बल्कि बांग्लादेश की आधारशिला रख रही है। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी की सरकार बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के दम पर टिकी हुई है।

जबकि कांग्रेस नेता उदित राज ने मस्जिद की नींव रखने का समर्थन करते हुए कहा है कि अगर मंदिर की नींव रखी जा सकती है तो मस्जिद की क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि मुस्लिम विरोधी ताकतें जानबूझकर नया विवाद खड़ा कर रही हैं, जो भारत के संविधान के खिलाफ है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवई ने कहा है कि मस्जिद बनाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसे बाबरी मस्जिद का नाम देकर एक नया विवाद खड़ा किया जा रहा है। भाजपा नेता और बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि यह सब सांप्रदायिक तनाव को हवा देने के लिए किया जा रहा है। चुनाव नजदीक आ गए हैं। गरीब मुसलमान टीएमसी छोड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2021 में सीएए और एनआरसी की आड़ में मुसलमानों को एकजुट किया था। इस बार वे बाबरी मस्जिद की आड़ में मुस्लिम वोटों को बटोरने का प्रयास कर रही हैं। बंगाली हिंदू बाबरी मस्जिद के निर्माण का डटकर विरोध करेंगे और इसे किसी कीमत पर सहन नहीं करेगे।

**सियासत** (25 नवंबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम पर राजनीति की जा रही है। समाचारपत्र ने कहा है कि बिहार में अप्रत्याशित सफलता के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं, लेकिन बिहार और बंगाल में एक बुनियादी अंतर है। बिहार में एनडीए की ही सरकार थी। जबकि बंगाल में ममता बनर्जी सत्तारूढ़ हैं। वहां पर भाजपा को अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भाजपा की करारी हार हो चुकी है। इसे देखते हुए भाजपा ने अभी से ही राज्य की राजनीति में गर्मी लाने का अभियान छेड़ दिया है। अफसोस की बात यह है कि यह अभियान राज्य के विकास पर नहीं, बल्कि बाबरी मस्जिद के नाम पर चलाया जा रहा है। जबकि अयोध्या में बाबरी ढांचे के ध्वस्त हुए तीन दशक बीत चुके हैं और वहां पर राम मंदिर बन भी चुका है।

समाचारपत्र ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी द्वारा हर साल बाबरी मस्जिद ध्वस्त किए जाने के विरोध में रैली निकाली जाती है। अब भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए इस रैली को निशाना बना रही है। जबकि टीएमसी भाजपा के प्रयासों में पलीता लगाने की तैयारी कर रही है। पश्चिम बंगाल देश का वह राज्य है, जहां भाजपा तीन बार पूरी ताकत लगाने के बावजूद सत्ता के नजदीक नहीं पहुंच पाई है। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने राज्य की जनता की नब्ज अच्छी तरह से पहचानती है। यही कारण है कि भाजपा को पश्चिम बंगाल में सत्ता प्राप्त करना

आसान नजर नहीं आता। टीएमसी 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी ढांचे के ध्वस्त किए जाने के खिलाफ कोलकाता में रैली निकालने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले में एक नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने की भी घोषणा की है। देखना यह है इस विवाद में राज्य की जनता का क्या रुख रहता है।

## अखलाक हत्याकांड केस वापस लेने के निर्णय का विरोध

**इंकलाब** (21 नवंबर) के अनुसार 2015 में उत्तर प्रदेश के दादरी में एक भीड़ ने गोहत्या के आरोप में मोहम्मद अखलाक की हत्या कर दी थी। इस घटना के 10 साल के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मुकदमे को वापस लेने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए अखलाक के परिजनों ने कहा है कि यह न्याय का अपमान है। उन्होंने घोषणा कि वे सरकार के इस फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। गौरतलब है कि 28 सितंबर 2015 की रात दादरी के बिसाहड़ा गांव में लाउडस्पीकर से घोषणा हुई कि अखलाक ने गोहत्या करके उसका मांस अपने घर में रखा है। इसके बाद एक भीड़ ने 52 वर्षीय अखलाक के घर पर हमला कर दिया और उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी।।

सरकार ने इस हत्याकांड के तीन महीने बाद अदालत में चार्जशीट दायर की थी, लेकिन आरोपियों के खिलाफ फरवरी 2021 में आरोप तय किए गए। इसमें 19 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें से एक नाबालिग था। एक व्यक्ति की 2016 में मौत हो गई। बाकी 18 जमानत पर बाहर हैं। अब तक इस केस के 25 गवाहों में से पांच की गवाही पूरी हो चुकी है। सरकार ने अदालत में एक याचिका दायर करके कहा है कि गवाहों के बयान में भारी अंतर है, इसलिए इस केस को अदालत से वापस लेने की अनुमति दी जाए। अखलाक के वकील यूसुफ सैफी ने राज्य सरकार के इस फैसले को कानूनी तौर पर गलत बताया है।

**इंकलाब** (23 नवंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर सत्र न्यायालय में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत मुकदमा वापस लेने का आवेदन दिया है। गौतम बुद्ध नगर के सहायक जिला सरकारी वकील भाग सिंह ने 26 अगस्त को राज्य सरकार द्वारा जारी एक पत्र के बाद 15 अक्टूबर को अदालत में मुकदमा वापस लेने का अनुरोध किया था। आवेदन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने इस मुकदमे को अदालत से वापस लेने की लिखित मंजूरी दे दी है। इसमें संयुक्त निदेशक (अभियोजन) ब्रजेश कुमार मिश्रा का एक पत्र भी संलग्न किया गया है, जिसमें भाग सिंह को मुकदमा वापस लेने का निर्देश दिया गया है।

**उर्दू टाइम्स** (23 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि गोवध की अफवाह

फैलने के बाद उत्तेजित भीड़ ने अखलाक के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी थी। यह भारतीय लोकतंत्र के ताने-बाने पर कभी न भरने वाला एक जख्म है। यह देश में बढ़ते सांप्रदायिक जुनून, मुसलमानों के खिलाफ नफरत और कानून को अपने हाथ में लेने वाली भीड़ की मानसिकता का एक खतरनाक संकेत है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा आरोपियों को क्लीन चिट देने का फैसला न सिर्फ न्याय के साथ मजाक है, बल्कि इससे देश में मुसलमानों पर हमलों का सिलसिला बढ़ जाएगा।

**हिंदुस्तान** (17 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस फैसले से देश की पूरी न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा होगा। राज्य सरकार का यह फैसला कानून व्यवस्था और न्याय को अर्थहीन बना देगा। यह संविधान और न्यायपालिका के वर्चस्व को खत्म कर देगा। समाचारपत्र ने कहा है कि गोमांस रखने के आरोप में दादरी के मोहम्मद अखलाक की हत्या की घटना देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर एक काला धब्बा है। समाचारपत्र का कहना है कि उत्तर प्रदेश हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना हुआ है। यहां नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं। सांप्रदायिकता, धार्मिक नफरत और मुस्लिम दुश्मनी की इस प्रयोगशाला में मुसलमानों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की घृणित साजिश की जा रही है। अब उनके लिए इंसाफ के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले का स्वतः संज्ञान ले और उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दे कि वह इस मुकदमे को वापस न ले।

**इंकलाब** (18 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने मोहम्मद अखलाक की हत्या के मुकदमे को अदालत से वापस लेने का फैसला किया है। अब सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या आरोपियों के खिलाफ पुख्ता प्रमाण नहीं हैं या यह फैसला किसी राजनीतिक व सामाजिक दबाव में किया गया है? तथाकथित गोरक्षकों द्वारा जिस तरह से आम लोगों को हिंसा का निशाना बनाया जा रहा है उससे यह संकेत मिलता है कि समाज के एक तबके ने कानून और संविधान को ताक पर रखकर स्वयं ही सजा देने का अधिकार ले लिया है। इस फैसले से यह भी साबित होता है कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है। इसे किसी राजनीतिक और सामाजिक दबाव के तहत बदला जा सकता है। समाचारपत्र ने मांग की है कि सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। ■

# व्हाइट हाउस के बाहर आतंकी हमला

**इंकलाब** (28 नवंबर) के अनुसार अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डी.सी. स्थित अमेरिकी राष्ट्रपति के सरकारी आवास 'व्हाइट हाउस' के बाहर हुए आतंकवादी हमले में दो नेशनल गार्ड घायल हो गए थे। इसमें से एक 20 वर्षीय महिला नेशनल गार्ड सारा बेकस्ट्रॉम की मौत हो गई है। जबकि दूसरा सैनिक 24 वर्षीय एंड्रयू वोल्फ जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। पुलिस ने घटनास्थल से एक हमलावर को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान 29 वर्षीय अफगान नागरिक रहमानुल्लाह लकनवाल के रूप में हुई है। लकनवाल 2021 में अमेरिका आया था और अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के साथ काम कर चुका था। इस घटना पर टिप्पणी करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि यह एक आतंकवादी हमला था। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के शासनकाल में जिन विदेशियों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति दी गई थी उनकी फिर से जांच पड़ताल की जाएगी।

**इंकलाब** (1 दिसंबर) के अनुसार अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन के शासनकाल में देश में दाखिल हुए विदेशी नागरिकों की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। डीएचएस के सचिव ने कहा कि मोंटाना राज्य में जबीउल्लाह मोहमंद को एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया गया है। इसी तरह से एक अन्य अफगान नागरिक जावेद अहमदी को भी अनेक अपराधों में लिप्त पाया गया है। इसके बावजूद पुराने राष्ट्रपति के कार्यकाल में इन्हें देश से निष्कासित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त कई अन्य अफगान नागरिक भी गंभीर आरोपों में लिप्त पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी अपराधी को अमेरिका में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें देश से निष्कासित कर दिया जाएगा।

**हिंदुस्तान एक्सप्रेस** (29 नवंबर) के अनुसार नेशनल गार्ड के जवानों पर हुए हमले के बाद अमेरिका में कई अफगान नागरिकों के घरों पर छापे मारे गए और उनकी तलाशी ली गई। एफबीआई के निदेशक काश पटेल ने बताया कि संदिग्ध लोगों के घरों से बहुत से इलेक्ट्रॉनिक

उपकरण जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त गिरफ्तार अफगान नागरिक रहमानुल्लाह के रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमलावर अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के साथ काम कर चुका था। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिकी सैनिकों की सहायता करने वाले लोगों को अमेरिका में शरण देने की व्यवस्था की थी। इसी के तहत रहमानुल्लाह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका आ गया था। पटेल ने कहा कि 85 हजार विदेशी घुसपैठिए हिरासत केंद्रों में हैं। अब उन्हें अमेरिका से निष्कासित कर दिया जाएगा।

**एतेमाद** (29 नवंबर) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की है कि अफ्रीका और एशिया के सभी देशों के नागरिकों के अमेरिका में घुसने और यहां पर रहने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन ने इन विदेशी नागरिकों को अमेरिका में रहने की जो सुविधा दी थी उसके कारण देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। हम उन सभी लोगों को अपने देश से निष्कासित करेंगे, जो अमेरिका के लिए खतरा हैं। इन विदेशी नागरिकों को दी जाने वाली सभी सुविधाएं खत्म कर दी जाएंगी। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में इस समय पांच करोड़ 30 लाख विदेशी मूल के नागरिक हैं।

**एतेमाद** (1 दिसंबर) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने विश्व के सभी अमेरिकी दूतावासों को निर्देश दिया है कि वे अफगान मूल के किसी भी व्यक्ति को अमेरिका में प्रवेश का वीजा न दें। इसके अतिरिक्त अमेरिका में रह रहे अफगान नागरिकों के वीजा भी रद्द किए जा रहे हैं। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा के प्रमुख ने कहा है कि 2021 से अब तक अफगान मूल के दो लाख से अधिक नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। जबकि दो लाख 65 हजार आवेदनों पर अभी विचार किया जा रहा है। इनमें आव्रजन वीजा के लिए आवेदन करने वाले अफगान नागरिकों की संख्या एक लाख 80 हजार है। इन लोगों ने अफगानिस्तान में अमेरिका और उनकी विभिन्न एजेंसियों के लिए काम किया था। तालिबान के सत्ता में आने के बाद इनकी सुरक्षा को देखते हुए इन्हें अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी।

## टेक्सास में दो इस्लामिक समूह आतंकी संगठन घोषित

**इंकलाब** (21 नवंबर) के अनुसार अमेरिकी राज्य टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने दो इस्लामिक समूहों काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस (सीएआईआर) और इख्वानुल मुस्लिमीन (मुस्लिम ब्रदरहुड) को आतंकी और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन घोषित किया है। एबॉट ने बताया कि अमेरिका और दुनिया के अन्य देशों में इन संगठनों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए हमने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। गवर्नर एबॉट के इस आदेश के बाद ये संगठन टेक्सास राज्य में न तो घर खरीद पाएंगे और न ही जमीन खरीद पाएंगे।

गवर्नर एबॉट ने कहा कि इन दोनों समूहों को आतंकवादी संगठन घोषित करने का उद्देश्य टेक्सास के लोगों को उन अतिवादी संगठनों से बचाना है, जो अमेरिका के लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत एजेंडा थोपने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन संगठनों के सभी बैंक खातों को भी सील कर दिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये दोनों इस्लामिक संगठन अमेरिका की फेडरल सरकार की आतंकवादी सूची में शामिल नहीं हैं। गवर्नर एबॉट इससे पहले टेक्सास में शरिया अदालतों पर भी प्रतिबंध लगा चुके हैं। टेक्सास के गनर्वर के इस फैसले पर राज्य के मुस्लिम संगठनों ने रोष प्रकट किया है। सीएआईआर ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इस फैसले को असंवैधानिक और अमेरिकी नीति के विपरीत बताया है। इस संगठन ने आरोप लगाया है कि यह आदेश मुस्लिम दुश्मनी से प्रेरित और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है।

**इंकलाब** (20 नवंबर) के अनुसार अमेरिकी राज्य मिशिगन के डियरबॉर्न शहर में कुरान जलाने के प्रयास के बाद इस्लाम विरोधी प्रदर्शनकारियों और मुसलमानों के बीच झड़पें हुईं। इसके बाद पूरे राज्य में नेशनल गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। बताया जाता है कि जेक लैंग नामक व्यक्ति ने डियरबॉर्न में एक लाइटर से कुरान को जलाने का प्रयास किया था, लेकिन मुसलमानों ने उस पर हमला कर दिया और कुरान को उससे छीन लिया। इसके बाद लैंग ने कुरान को सूअर के मांस के एक टुकड़े में भी लपेटने का प्रयास किया। इस पर इस्लाम विरोधी प्रदर्शनकारियों और मुसलमानों के बीच जोरदार झड़पें हुईं। मिशिगन डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष कर्टिस हर्टेल ने कुरान जलाने की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय की धार्मिक पुस्तक को जलाना अमेरिकी संस्कृति के अनुरूप नहीं है।

दूसरी ओर, रिपब्लिकन पार्टी के नेता एंथनी हडसन ने अपने समर्थकों के साथ मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से मांग की कि मिशिगन की सभी मस्जिदों और इस्लामिक केंद्रों को बंद किया जाए, क्योंकि ये आतंकवाद की ज्वाला भड़काने का खतरनाक काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे राज्य में मुसलमानों के बढ़ते हुए प्रभाव और इस्लामिक राज्य की स्थापना के प्रयास को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और इसका डटकर विरोध करेंगे।

**सहाफत** (27 नवंबर) के अनुसार अमेरिका ने भारतीय उपमहाद्वीप (एक्यूआईएस) में अलकायदा के दो खूंखार आतंकवादियों के बारे में सूचना देने वालों को डेढ़ करोड़ डॉलर ईनाम देने की घोषणा की है। अमेरिकी सरकार की सूचना के अनुसार ओसामा महमूद पर एक करोड़ डॉलर और आतिफ याहया गौरी पर 50 लाख डॉलर का ईनाम रखा गया है। अमेरिकी सरकार के अनुसार सितंबर 2014 में तत्कालीन अलकायदा प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी ने एक्यूआईएस का गठन किया था। तब आसिम उमर को एक्यूआईएस का प्रमुख और ओसामा महमूद को इसका प्रवक्ता नियुक्त किया गया था। ओसामा महमूद ने अलकायदा के प्रचार विभाग 'अस-सहाब' का भी

गठन किया था। ओसामा पाकिस्तानी नागरिक है और इस समय अफगानिस्तान में रह रहा है। वह एक्यूआईएस के प्रमुख के रूप में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत और पाकिस्तान सहित दक्षिण और मध्य एशिया में अलकायदा की आतंकवादी गतिविधियों का संचालन करता है। इस गुट ने 26 फरवरी 2015 को ढाका में एक अमेरिकी नागरिक अविजीत रॉय की हत्या कर दी थी। इसके अतिरिक्त एक्यूआईएस ने 26 अप्रैल 2016 को अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी) के कर्मचारी जुल्हाज मन्नान की हत्या की भी जिम्मेवारी ली थी।

## शेख हसीना और उनके रिश्तेदारों को सजा की घोषणा

**इंकलाब** (28 नवंबर) के अनुसार ढाका की एक अदालत ने बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भूखंड आवंटन योजना में हेराफेरी का दोषी करार दिया और तीन मामलों में 21 साल की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि इससे पहले शेख हसीना को एक अन्य मामले में मौत की सजा दी जा चुकी है। ढाका की विशेष अदालत-5 के न्यायाधीश मोहम्मद अब्दुल्ला अल-मामून ने शेख हसीना को तीन अलग-अलग भूखंड घोटाला मामलों में सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इसी मामले में शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय और बेटी साइमा वाजेद को भी पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। इन दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। शेख हसीना ने इसे राजनीतिक बदले की भावना के तहत दिया गया फैसला बताया है।

**इंकलाब** (2 दिसंबर) के अनुसार ढाका की एक अन्य विशेष अदालत-4 के न्यायाधीश मोहम्मद रबीउल आलम ने अपने रिश्तेदारों को अवैध रूप से भूखंड आवंटित करने के मामले में शेख हसीना को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त उनकी बहन शेख रेहाना को सात साल और उनकी भतीजी व ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीकी को दो साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने आदेश दिया है कि इन सभी भूखंडों का आवंटन रद्द कर दिया जाए।

**अवधनामा** (26 नवंबर) के अनुसार बांग्लादेश में आपराधिक घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के अनुसार अक्टूबर महीने में देश में हत्या के 319 मामले दर्ज किए गए। जबकि सितंबर महीने में इनकी संख्या 297 और अगस्त में 321 थीं। इसके साथ ही डकैती की 56 घटनाएं हुई हैं। इसी तरह से अपहरण की घटनाओं में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। अवामी लीग ने आरोप लगाया है कि पुलिस आगामी चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, इसलिए वह अपराधों को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मोहम्मद यूनुस के 14 महीनों के शासनकाल में हत्या की 4177 घटनाएं हुई हैं। पूरे देश की नदियों, नालों और सड़कों पर लाशें पाई जा रही हैं।

**हिंदुस्तान** (23 नवंबर) के अनुसार पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में सक्रिय है। आईएसआई ने भारत में आतंकवाद की ज्वाला भड़काने के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या युवकों की भर्ती शुरू कर दी है।

# पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खूनी झड़पें

**चट्टान** (26 नवंबर) के अनुसार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्धविराम वार्ता के विफल होने के बाद दोनों देशों के बीच खूनी झड़पों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। अफगान सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार पाकिस्तानी वायु सेना ने खोस्त, कुनार और पक्तिका प्रांतों में अफगान नागरिकों को निशाना बनाया। इन हमलों में कम-से-कम 10 अफगान नागरिक मारे गए और 50 से अधिक घायल हो गए। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इन हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करके अफगानिस्तान पर हवाई हमले कर रहा है। उन्होंने कहा कि अफगान सरकार अपनी वायु सीमा और अपनी जनता की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम उचित समय पर पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे।

**उर्दू टाइम्स** (30 नवंबर) के अनुसार पेशावर स्थित फ्रंटियर कांस्टेबुलरी मुख्यालय पर हुए आत्मघाती हमले में छह पाकिस्तान सैनिक मारे गए और लगभग एक दर्जन लोग घायल हो गए। इस हमले में तीन हमलावर भी मारे गए। इस हमले में प्रतिबंधित इस्लामिक आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) का हाथ होने का दावा किया गया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कहा है कि यह हमला अफगान सरकार के इशारे पर हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि हमलावर अफगान नागरिक थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने दावा किया है कि इस हमले के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी 'रॉ' का हाथ है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान विरोधी नीति का त्याग करना चाहिए, क्योंकि दोनों मुस्लिम देश हैं।

**औरंगाबाद टाइम्स** (18 नवंबर) के अनुसार बलूच लड़ाकों ने बलूचिस्तान प्रांत के नसीराबाद जिले के नजदीक जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया। इस हमले की जिम्मेवारी बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने ली है। पाकिस्तान सरकार ने दावा किया है कि यह हमला विफल रहा है। जबकि बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने दावा किया है कि इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 12 लोग मारे गए हैं।

**औरंगाबाद टाइम्स** (30 नवंबर) के अनुसार अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए हजारों नए प्रशिक्षित कमांडो को भर्ती किया गया है ताकि अफगान सरकार किसी भी हमलावर का मुंहतोड़ जवाब दे सके। अब तक 800 से अधिक नए कमांडो का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर ने कहा है कि अफगान रक्षा मंत्रालय विशेष कमांडो की भर्ती के अभियान को जारी रखेगा।

# इख्वानुल मुस्लिमीन पर भ्रष्टाचार का आरोप

**कौमी तंजीम** (25 नवंबर) के अनुसार स्वीडिश अखबार 'एक्सप्रेसन' का दावा है कि इस्लामिक अतिवादी संगठन इख्वानुल मुस्लिमीन (मुस्लिम ब्रदरहुड) से जुड़े संस्थानों में करोड़ों डॉलर का घोटाला हुआ है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि यह घोटाला गाजा के युद्ध पीड़ितों की सहायता के लिए जमा की गई धनराशि में हुआ है। स्वीडन के एक मुस्लिम सांसद अब्दिरिजाक वाबेरी ने इस धनराशि को थाईलैंड के एक दर्जन नाइट क्लबों में निवेश किया है। इसके अतिरिक्त इस्लामिक मदरसों के प्रबंधकों ने माल्टा के विभिन्न मुस्लिम संगठनों को लाखों डॉलर हस्तांतरित किए हैं।

स्वीडिश अखबार ने आरोप लगाया है कि इस धनराशि का इस्तेमाल विश्व में इस्लामिक आतंकवाद की ज्वाला भड़काने और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों का तख्ता पलटकर इस्लामिक हुकूमत स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। एक्सप्रेसन ने दावा किया है कि फरवरी महीने में इख्वानुल मुस्लिमीन ने गाजा के नवनिर्माण की आड़ में दो करोड़ 13 लाख डॉलर इकट्ठे किए थे। इस धनराशि को गाजा भेजने के बजाय इससे यूरोप के विभिन्न देशों में संपत्ति खरीदी गई। समाचारपत्र ने यह भी आरोप लगाया है कि यूरोप में मुसलमानों से जो धनराशि इकट्ठा की जा रही है उसका इस्तेमाल अफगानिस्तान, बोस्निया और चेचन्या में इस्लामिक आतंकवादी नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। गौरतलब है कि इख्वानुल मुस्लिमीन की स्थापना 1928 में मिस्र में हसन अल-बन्ना ने की थी। बाद में इसका विस्तार विश्व के कई देशों में किया गया।

# नाइजीरिया में मुसलमानों और ईसाइयों में भीषण जंग

**इंकलाब** (22 नवंबर) के अनुसार इस्लामिक आतंकवादी संगठन अल-शबाब ने पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया के एक कैथोलिक स्कूल पर हमला करके 300 से अधिक बच्चों और कर्मचारियों का अपहरण कर लिया है। इस घटना के एक सप्ताह पहले सशस्त्र आतंकवादियों ने एक अन्य ईसाई स्कूल पर हमला करके 22 छात्राओं का अपहरण कर लिया था। ईसाई संगठनों का आरोप है कि इस्लामिक आतंकवादी संगठन नाइजीरिया से ईसाइयों का खात्मा करना चाहते हैं ताकि वहां पर शरिया पर आधारित इस्लामिक हुकूमत स्थापित की जा सके। इन संगठनों ने यह भय व्यक्त किया है कि ये आतंकवादी बंधक बनाई गई छात्राओं को अरब देशों में गुलाम के रूप में बेच देंगे, जैसा कि वे पहले भी कर चुके हैं।

**सियासत** (3 नवंबर) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने धमकी दी है कि अगर नाइजीरिया में ईसाइयों का नरसंहार नहीं रोका गया तो अमेरिका नाइजीरिया को सहायता देना बंद कर देगा और अपने सैनिक भेजकर इस्लामिक आतंकवादी गुटों का सफाया कर देगा। ट्रम्प ने यह भी घोषणा की कि उन्होंने नाइजीरिया में सैन्य कार्रवाई करने के लिए अमेरिकी सेना को तैयार रहने का निर्देश दिया है ताकि वहां पर रहने वाले ईसाइयों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस आरोप का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि ट्रम्प जानबूझकर इस्लाम को निशाना बना रहे हैं। हमारे देश में सभी धर्मों को मानने वालों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। नाइजीरिया एक लोकतांत्रिक देश है, जिसके संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी है।

**पृष्ठभूमि:** नाइजीरिया 1960 में ब्रिटेन की गुलामी से आजाद हुआ था। तब देश में लगभग 50 प्रतिशत मुसलमान, 40 प्रतिशत ईसाई और बाकी अफ्रीकी जातियों के लोग रहते थे। नाइजीरिया का उत्तरी इलाका मुस्लिम बहुल था और वहां पर शरिया कानून को मानने वाले हौसा और फुलानी जैसे मुस्लिम समुदाय रहते थे। जबकि दक्षिणी नाइजीरिया में योरूबा और इग्बो समुदाय के लोग रहते थे। ये लोग 19वीं शताब्दी में

यूरोपीय मिशनरियों के प्रभाव में आकर ईसाई बन गए थे। यहां पर ईसाई-मुस्लिम संघर्ष की शुरुआत 1953 में कानो शहर से हुई थी। तब कानो मुसलमानों का मुख्य केंद्र था। ईसाई मिशनरियों ने यहां पर धीरे-धीरे अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। मुसलमानों को भय था कि यहां पर ईसाई जनसंख्या बढ़ जाएगी। इसके बाद वहां पर दंगे शुरू हो गए। ब्रिटिश पुलिस ने इन दंगों को कुचलने की कोशिश की, लेकिन वह इन दंगों पर नियंत्रण नहीं कर पाई। यह पहली बार था जब नाइजीरिया में सैकड़ों ईसाई मारे गए थे।

30 मई 1967 को इग्बो ईसाइयों ने कर्नल ओडुमेग्वु के नेतृत्व में अलग 'बियाफ्रा गणराज्य' की घोषणा कर दी। जनवरी 1970 तक यह अलगाववादी युद्ध चला। इसमें लगभग 30 लाख लोग युद्ध, भुखमरी और बीमारी से मारे गए। 1970 में ईसाइयों को हार का सामना करना पड़ा और इस क्षेत्र को दोबारा नाइजीरिया में मिला दिया गया। इस दौरान नाइजीरिया की सत्ता भी अस्थिर थी। 1966 से 1998 तक नाइजीरिया में सात बार तख्तापलट हुआ और हर बार सैन्य सरकार बनी। अब्दुल सलामी अबूबकर नाइजीरिया के अंतिम सैन्य शासक थे। 1980 के दशक में कट्टर मुस्लिम नेता मोहम्मद मारवा ने कानो में ईसाई विरोधी सशस्त्र अभियान की शुरुआत की। इन दंगों में हजारों मुसलमान और ईसाई मारे गए। 1982 में काफानचन शहर में भीषण दंगा भड़का। इन दंगों में हजारों ईसाई और कुछ मुसलमान मारे गए।

मई 1999 में नाइजीरिया में लोकतांत्रिक शासन स्थापित होने के बावजूद ईसाइयों और मुसलमानों के बीच दंगों का सिलसिला जारी रहा। 2001 में प्लैटो राज्य के जोस शहर में बड़ा दंगा भड़का। इस दंगे में भी हजारों ईसाई मारे गए। इस दौरान ईसाइयों के कई गिरजाघरों को भी जला दिया गया। 2002 में इस्लामिक आतंकवादी संगठन बोको हराम ने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। बोको हराम का शाब्दिक अर्थ है, 'पश्चिमी शिक्षा हराम' है। 2009 के बाद बोको हराम की गतिविधियां उग्र हो गईं। इस इस्लामिक आतंकवादी संगठन ने ईसाई बस्तियों, गिरजाघरों और स्कूलों को अपना निशाना बनाना शुरू किया। बोको हराम ने बंदूक की नोक पर सैकड़ों ईसाई छात्राओं का अपहरण किया। तब बोको हराम के

नेता अबू बकर शेकाऊ ने घोषणा की थी कि हम ईसाई लड़कियों को अपना गुलाम बनाएंगे।

2016 में बोको हराम का एक अलग धड़ा इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस (आईएसडब्ल्यूएपी) बना। इसे विभिन्न इस्लामिक संगठनों और मुस्लिम देशों से भी सक्रिय सहायता मिली। इस संगठन ने अब तक 50 हजार से ज्यादा ईसाइयों की हत्या की है और हजारों ईसाई छात्राओं का अपहरण करके उन्हें गुलाम बनाया है। इस समय नाइजीरिया की जनसंख्या 23 करोड़ है, जिसमें 56 प्रतिशत मुसलमान और 43 प्रतिशत ईसाई हैं। उत्तरी नाइजीरिया के 19 राज्य मुस्लिम बहुल हैं। जबकि दक्षिणी नाइजीरिया के 17 राज्यों में ईसाइयों का बहुमत है। इंटरनेशनल सोसायटी फॉर सिविल लिबर्टीज एंड द रूल ऑफ लॉ की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के पहले सात महीने में नाइजीरिया के मध्य और उत्तरी इलाके में सात हजार से अधिक ईसाई मारे गए हैं। यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने धमकी दी है कि वे नाइजीरिया में सेना भेजकर इस्लामिक आतंकवादियों का सफाया कर देंगे ताकि ईसाई समुदाय के लोग देश में चैन से रह सकें।

## सूडान में एकपक्षीय युद्धविराम की घोषणा

**इंकलाब** (26 नवंबर) के अनुसार सूडान की रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) ने मानवीय आधार पर तीन महीने के एकतरफा युद्धविराम की घोषणा की है। आरएसएफ के कमांडर मोहम्मद हमदान डागालो ने कहा है कि वे इस युद्धविराम के जरिए दुश्मनी का खात्मा करना चाहते हैं। जबकि सूडानी सशस्त्र सेना (एसएएफ) ने इसका विरोध किया है। एसएएफ के प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान ने आरोप लगाया है कि युद्धविराम की घोषणा अमेरिका के इशारे पर की जा रही है। इसे सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि हम इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि मध्यस्थ देश तटस्थ नहीं हैं और वे अमेरिका के इशारे पर नाच रहे हैं।

गौरतलब है कि सूडान अप्रैल 2023 से गृहयुद्ध का शिकार है। एसएएफ और आरएसएफ

के युद्ध से पूरा देश प्रभावित है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अब तक इस युद्ध में कम-से-कम 50 हजार लोग मारे जा चुके हैं। जबकि अन्य संगठनों का दावा है कि इस युद्ध में डेढ़ लाख से अधिक लोग मारे गए हैं। जबकि लगभग डेढ़ करोड़ लोग बेघर हो चुके हैं। इस गृहयुद्ध के कारण देश के कई भागों में भीषण अकाल फैला हुआ है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस गृहयुद्ध को समाप्त करने और सूडान में फिर से लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के अफ्रीकी मामलों के सलाहकार मासाद बौलोस ने बताया कि फिलहाल तीन महीने के लिए युद्धविराम किया जा रहा है ताकि पीड़ितों को कुछ शांति मिल सके।

दूसरी ओर, एसएएफ के प्रमुख अब्देल फतह अल-बुरहान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका आरएसएफ की आड़ में सूडानी सेना को कमजोर करके सूडान में सोना की खदानों और तेल पर कब्जा करना चाहता है। अल-बुरहान ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका के इशारे पर संयुक्त अरब अमीरात विद्रोहियों को लगातार हथियार और आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहा है। हालांकि, संयुक्त अरब अमीरात ने उनके इस आरोप का खंडन किया है।

**एतेमाद** (26 नवंबर) के अनुसार जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान ने दावा किया है कि अमेरिका सूडान को विभाजित करने की साजिश रच रहा है। उन्होंने कहा कि सूडान पर विदेशी कब्जे की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने युद्धविराम योजना की आलोचना करते हुए कहा कि इसके कारण सूडान में अशांति पैदा होगी और विभाजन का रास्ता खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना में संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है, इसलिए हम इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। अल-बुरहान ने कहा कि हाल ही में अमेरिका ने दावा किया है कि सूडानी सेना के अंदर अतिवादी इस्लामिक संगठन इख्वानुल मुस्लिमीन का प्रभाव बढ़ रहा है। बुरहान ने दावा किया कि यह सेना के खिलाफ भय का माहौल बनाने का अमेरिकी हथकंडा है। सूडानी सेना किसी भी विदेशी संगठन के प्रभाव से मुक्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका सूडान की सरकार को मिलने वाली अंतरराष्ट्रीय सहायता को रोक रहा है और वह रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। सेना तब तक विद्रोहियों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेगी जब तक उनका पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता।

**कौमी तंजीम** (26 नवंबर) के अनुसार सूडान के सूचना मंत्री खालिद अली अल-ऐसिर ने आरोप लगाया है कि आरएसएफ के कमांडर डागालो द्वारा युद्धविराम की घोषणा एक राजनीतिक चाल है। इसका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय को धोखा देना और अपनी विवादित छवि को सुधारना है। उन्होंने कहा कि हम विद्रोहियों को सूडान से भगाने के बाद ही किसी तरह की वार्ता करेंगे। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने दावा किया था कि वे सूडान में शांति स्थापित करने का

प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान से भी सहयोग मांगा था।

**उर्दू टाइम्स** (30 नवंबर) ने अपने संपादकीय में सूडान के घटनाक्रम पर चिंता प्रकट की है। समाचारपत्र ने कहा है कि सत्ता की हवस के कारण सूडान के नागरिक भूखे मर रहे हैं और इस्लाम को मानने वाले तबाही के रास्ते पर अग्रसर हैं। संपादकीय में कहा गया है कि शर्म की बात है कि इस्लामिक देश सूडान के मुसलमानों को राहत पहुंचाने के बजाय गृहयुद्ध की ज्वाला भड़का रहे हैं।

# इजरायल द्वारा पांच प्रमुख हमास कमांडरों की हत्या

इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम समझौते के बावजूद गाजा में इजरायली हमलों का सिलसिला जारी है। हमास ने भी युद्धविराम को खत्म करने की धमकी दी है।

**अवधनामा** (25 नवंबर) के अनुसार इजरायल ने दावा किया है कि उसने गाजा में हमास के पांच वरिष्ठ कमांडरों की हत्या कर दी है। इजरायल ने आरोप लगाया है कि हमास ने फिर से युद्धविराम समझौते का उल्लंघन किया है और उसने इजरायली सैनिकों पर हमले किए हैं। इसके जवाब में इजरायल ने हमास के पांच वरिष्ठ कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया है। इजरायल सरकार का दावा है कि वह युद्धविराम समझौते का पूरी तरह से पालन कर रही है। जबकि हमास इसका लगातार उल्लंघन कर रहा है। इजरायल ने मध्यस्थ देशों से अपील की है कि वे हमास पर युद्धविराम को सख्ती से लागू करने का दबाव डालें। इसके अतिरिक्त वे यह भी दबाव डालें कि हमास अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की 20 सूत्री योजना को कार्यान्वित करे।

उल्लेखनीय है कि इजरायल ने पश्चिमी गाजा में एक वाहन को निशाना बनाया था। इस हमले में हमास के कई वरिष्ठ कमांडर मारे गए थे। दूसरी ओर, हमास ने अमेरिका से शिकायत की है कि इजरायल युद्धविराम का उल्लंघन करके गाजा पर लगातार हमले कर रहा है। हमास ने इसमें मध्यस्थ देशों और अमेरिका से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। गाजा सरकार के अल्जीरिया स्थित मीडिया कार्यालय ने एक बयान जारी करके यह दावा किया है कि 10 अक्टूबर को युद्धविराम समझौता लागू होने के बाद से इजरायल ने 500 से अधिक बार युद्धविराम समझौते का उल्लंघन किया है। इन हमलों में दो हजार से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं।

दूसरी ओर, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि हमास की ओर से इजरायली क्षेत्रों पर हमले किए गए थे। इस हमले के जवाब में इजरायल ने हमास के पांच वरिष्ठ कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली सेना प्रमुख ने अपने तीन वरिष्ठ जनरलों को

कि जब तक हमास अपने सभी हथियार अंतरराष्ट्रीय एजेंसी को नहीं सौंपता तब तक गाजा पर हमलों का सिलसिला जारी रहेगा। इसी समाचारपत्र ने 24 नवंबर के अंक में दावा किया है कि हमास ने अमेरिकी दूत को यह सूचित किया है कि उसने युद्धविराम समझौते को खत्म करने का फैसला किया है और अब वह एक नए युद्ध के लिए तैयार है। हमास ने जोर दिया है कि युद्धविराम दोनों पक्षों की ओर से होना चाहिए, क्योंकि गाजा लेबनान नहीं है।

बर्खास्त कर दिया है और एक दर्जन वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इन पर आरोप है कि ये 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले को रोकने में विफल रहे हैं। इजरायल ने 7 अक्टूबर 2023 में हुए हमले की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है। इस जांच आयोग की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर तीन वरिष्ठ जनरलों और सात डिविजनल कमांडरों को बर्खास्त कर दिया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर नौसेना और वायु सेना के एक दर्जन अधिकारियों पर मुकदमा चलाने का फैसला किया गया है।

**सियासत** (24 नवंबर) के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने घोषणा की है

**कौमी तंजीम** (18 नवंबर) के अनुसार हमास और फिलिस्तीन के अन्य सशस्त्र संगठनों ने आरोप लगाया है कि अमेरिका परोक्ष रूप से गाजा पर कब्जा करना चाहता है। इसे वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें अरब देशों द्वारा पेश इस्लामिक सेना का मॉडल स्वीकार है। गाजा के युद्ध पीड़ित क्षेत्रों में राहत उपलब्ध कराने का काम फिलिस्तीनी संगठनों द्वारा होना चाहिए। जबकि संयुक्त राष्ट्र इसकी निगरानी कर सकता है।

## यूएई के शहजादे की रिहाई हेतु पांच करोड़ डॉलर का भुगतान

**अवधनामा** (25 नवंबर) ने दावा किया है कि संयुक्त अरब अमीरात के शाही परिवार से जुड़े एक शहजादे को पश्चिमी अफ्रीकी देश माली के एक आतंकवादी समूह जमात नुसरत अल-इस्लाम वाल-मुस्लिमीन (जेएनआईएम) ने 26 सितंबर को बंधक बना लिया था। जर्मन न्यूज एजेंसी के अनुसार यह आतंकवादी समूह इस्लामिक आतंकवादी संगठन अलकायदा से जुड़ा हुआ है। इस समूह ने अमीराती शहजादे के अतिरिक्त एक ईरानी और एक पाकिस्तानी नागरिक को भी बंधक बनाया था। जर्मन मीडिया के अनुसार जेएनआईएम पश्चिमी अफ्रीकी देश माली के सैन्य शासन का तख्ता पलटकर वहां पर शरिया शासन लागू करने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए वह अपहरण और सोने की खदानों का इस्तेमाल कर रहा है। इस आतंकवादी समूह ने धमकी दी थी कि वह माली में विदेशी कंपनी स्थापित करने और सरकार को आर्थिक सहायता देने वालों को तबाह कर देगा। जेएनआईएम ने सेनेगल और आइवरी कोस्ट से आने वाले ऑयल टैंकरों पर हमला करके उन्हें

जला दिया। इसके अतिरिक्त यह आतंकवादी समूह विदेशी व्यापारियों का अपहरण करके उनकी रिहाई के बदले में मोटी धनराशि वसूल कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र ने पुष्टि की है कि इस संगठन ने इस साल के मई से अक्टूबर महीने तक 22 विदेशी नागरिकों का अपहरण किया है। जिन विदेशी व्यापारियों का अपहरण किया गया है उनमें चीन, भारत, मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सर्बिया, क्रोएशिया और बोस्निया के नागरिक शामिल हैं। जेएनआईएम ने 26 सितंबर 2025 को माली की राजधानी बमाको के पास सोने के व्यापार में शामिल संयुक्त अरब अमीरात के शाही परिवार के एक शहजादे का अपहरण कर लिया था। यह शहजादा इस क्षेत्र में सोना खरीदने आया था। उसके साथ एक ईरानी और एक पाकिस्तानी नागरिक का भी अपहरण कर लिया गया। बताया जाता है कि जेएनआईएम ने अमीराती शहजादे को रिहा करने के लिए 40 करोड़ फ्रैंक मांगे थे। बाद में जेएनआईएम ने पांच करोड़ डॉलर की फिरौती लेकर इन तीनों व्यक्तियों को छोड़ दिया। ■

## सऊदी अरब में 54 लाख से अधिक लोगों ने उमरा किया

**एतेमाद** (22 नवंबर) के अनुसार सऊदी सरकार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस साल की दूसरी तिमाही में 54 लाख से अधिक लोगों ने उमरा अदा किया। उमरा करने वालों में विदेशी और सऊदी अरब के नागरिक शामिल हैं। 62 प्रतिशत पुरुष और 38 प्रतिशत महिलाओं ने उमरा किया। जबकि इस साल की पहली तिमाही में डेढ़ करोड़ से अधिक लोगों ने उमरा किया था।

**कौमी तंजीम** (12 नवंबर) के अनुसार अगले साल हज और उमरा के लिए दो करोड़ से अधिक विदेशियों के सऊदी अरब पहुंचने की संभावना है। सऊदी सरकार अभी से ही इन

यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। हाल ही में रियाद में सऊदी अरब के उच्चाधिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री फहद बिन अब्दुल रहमान अल–जलाजेल ने कहा कि सऊदी सरकार इन मेहमानों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करेगी। इसके लिए विदेशों से सहयोग लिया जा रहा है। इस संबंध में मक्का में किंग अब्दुल अजीज परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मक्का और मस्जिद अल–नबवी के विस्तार का काम भी शुरू हो चुका है। सऊदी सरकार ने कहा है कि सऊदी अरब आने वाले यात्रियों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए विदेशों से भी सहयोग लिया जा रहा है।

**उर्दू टाइम्स** (25 नवंबर) के अनुसार सऊदी सरकार ने एक सप्ताह के अंदर 15 हजार से अधिक विदेशी घुसपैठियों को अपने देश से निष्कासित किया है। इनलोगों ने अवैध रूप से सऊदी अरब में घुसपैठ की थी। इनमें से अधिकांश इथियोपिया और यमन के नागरिक हैं। इस वर्ष अब तक चार लाख से अधिक घुसपैठियों का पता लगाकर उन्हें देश से निष्कासित किया जा चुका है।

**चट्टान** (30 नवंबर) के अनुसार सऊदी सरकार ने विदेशियों को आकर्षित करने के लिए शराब पर पाबंदी में ढील देने का फैसला किया है। गौरतलब है कि सऊदी अरब में दो साल पहले तक शराब के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध था। इसका उल्लंघन करने वाले को 100 कोड़े मारे जाते थे और दोषी व्यक्ति का हाथ काट दिया जाता था। दो साल पहले शराब नीति में ढील दी गई और सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शराब की पहली दुकान खोली गई। इसमें सिर्फ विदेशी राजनयिकों को ही शराब खरीदने की अनुमति थी। अब हाल ही में यह फैसला किया गया है कि इस शराब की दुकान से सभी गैर–मुस्लिम व्यक्ति शराब खरीद सकते हैं। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी 'रॉयटर्स' के अनुसार सऊदी सरकार ने देश में दो नई शराब की दुकानें खोलने की घोषणा की है। शराब की ये दुकानें धाहरन और जेद्दा में खोली जा रही हैं।

RNI No. DELHIN/2017/72722

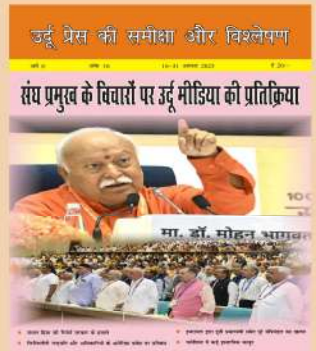

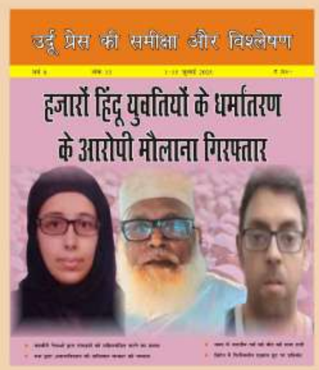


भारत नीति प्रतिष्ठान
**India Policy Foundation**
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-79687620
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in